



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



क्षेत्रीय कार्यालय-बिहार, पंचदीप भवन,  
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना-800001  
Tel: 0612-25211928, Fax: 0612-2533314  
E-mail: rd-bihar@esic.nic.in  
Website: [www.esic.gov.in](http://www.esic.gov.in) / [www.esic.in](http://www.esic.in)

## प्रेस विज्ञप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा आश्रित हितलाभ का भुगतान

पटना, दिनांक : 22-07-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम बिहार क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक , सीए. निरंजन कुमार द्वारा सादे समारोह में मेसर्स ए.एफ.पी. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लि. अंतर्गत पंजीकृत बीमित व्यक्ति श्री मिथिलेश कुमार जो हाजीपुर में हेल्पर के पद पर कार्यरत थे, उनकी आश्रिता पत्ती - कविता कुमारी, पुत्र - श्री मयंक राज एवं श्री वेदान्त कश्यप को कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आश्रित हितलाभ प्रदान किया गया और संवेदना व्यक्त की गयी ।

उल्लेखनीय है कि कार्य के दौरान व कार्यस्थल और निवासस्थान के मध्य आवागमन के कारण होने वाली दुर्घटना को १० कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत रोजगार चोट के रूप में स्वीकृत करने का प्रावधान है जिसके अंतर्गत बीमित कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित परिवारजनों को ₹३० एस० आई० योजना के तहत वेतन का 90% तक मासिक आश्रित पेंशन दिया जाता है।

क्षेत्रीय निदेशक